एक नजर में

बैल बांधने की बात पर भतीजे ने दराते से किया वार, दंपत्ति घायल

खरगोन। जिले के कसरावद थानाक्षेत्र में बैल बांधने की बात पर एक कृषक दंपत्ति पर दराती से वार किए जाने का मामला सामने आया है। यह हमला घायल के भतीजे ने किया, जिसके बाद वह फरार हो गया। हमले में घायल मेहताब सिंह ने बताया कि सुबह करीब 11 बजे जब वह खेत पर बैलगाड़ी लेकर पहुंचे तो, वहां उनके ही भतीजे लोकेंद्र सिंह पिता विक्रम सिंह ने बैल बांधने की बात पर विवाद किया। उसका कहना था यहां बैल नहीं बांधने दूंगा। विवाद के दौरान उसने तैश में आकर अपने हाथ में रखी दराती से पहले मेरे सिर पर वार किया, इसके बाद मेरी पत्नि सुशीला बाई आई तो उसे सिर पर भी वार कर दिया। जिससे दोनों को गंभीर चोंटें आई है। जिसके बाद हमें अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

पटवारी पर एफआईआर से गर्माई राजनीति, कांग्रेस ने सड़क से न्यायालय तक लड़ाई की दी चेतावनी

खरगोन। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जितु पटवारी पर थाना मुंगावली जिला अशोकनगर में दर्ज की गई एफआईआर पर राजनीति गर्मा गई है। सोमवार को जिला मुख्यालय पर कांग्रेस ने इस

एफआईआर को शासन- प्रशासन के दबाव में पटवारी की आवाज दबाने का प्रयास करार देते हुए आपत्ति दर्ज कराई है। कांग्रेस ने इस मामले में सड़क से लेकर न्यायालय तक लड़ाई लडने की चेतावनी दी है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष रवि नाईक ने पत्रकारों से चर्चा में बताया कि 25 जून 2025 को ग्राम मुडरा थाना मुंगावली जिला अशोकनगर के दो पीड़ित भाई गजराज लोधी एवं रघुराज लोधी ने मप्र कांग्रेस के अध्यक्ष श्री पटवारी से मुलाकात कर बताया की उनके गांव के सरपंच पुत्र विकास तथा उसके साथीयों ने उनके साथ गाली- गलोच मारपीट करते हुए खिलाया। इस पर पटवारी ने पीड़ितो के समक्ष अशोकनगर कलेक्टर से इस मामले में न्याय करने का आग्रह किया था। इसके अगले दिन 26 जुन 2025 को जिला प्रशासन द्वारा पीड़ित भाईयों को डरा धमकाकर शपथ पत्र लिया और मानव मल खिलाने जैसी बात कहने के लिए पटवारी के उकसाने का आरोप लगाया, जो कि सरासर गलत है। पुलिस की यह एफआईआर षडयंत्र का हिस्सा है, जिसके खिलाफ सड़क से लेकर न्यायालय तक लड़ाई लड़ी जाएगी। नाईक ने बताया कि इस समुची घटना की शिकायत 10 जुन 2025 को पीड़ित पक्ष अधिकारीयों को कर चुके थे, जिसका विडीयो भी वायरल हुआ था। ऐसे में 15 दिन बाद पटवारी पर उकसाने का आरोप लगाना निराधार है।

विद्यार्थी असफलता से निराश नहीं हो पुन: प्रयास करे सफलता मिलेगी : न्यायाधीश सुश्री प्रीति जैन

मंडलेश्वर। विद्यार्थियों को असफलता से निराश नहीं होना चाहिए असफल होने के बाद पूरी मेहनत और लगन के साथ दुबारा प्रयास करना चाहिए सफलता अवश्य मिलेगी।यह बात जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंडलेश्वर के अध्यक्ष प्रधान जिला न्यायाधीश श्री अखिलेश जोशी के निर्देश पर संदीपनी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महेश्वर के विधिक सहायता क्लब में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में सचिव एवं वरिष्ठ खंड न्यायाधीश सुश्री प्रीति जैन ने कही।आपने नालसा की जागृति और डान अभियान के तहत बालकों को महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियों दी आपने रैगिंग के बारे में भी सभी विद्यार्थियों को कानूनी जानकारी दी पॉक्सो एक्ट बाल विवाह और सायबर अपराधों के बारे में भी जागरूक किया।विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने की सीख देते हुए न्यायाधीश ने बताया कि नशा करने वाले से दोस्ती नहीं करे नशा जीवन बर्बाद कर देता है।लड़कियों को सोशल मीडिया के खतरों से अवगत कराते हुए आपने कहा कि किसी भी सोशल साइट पर सोच समझकर ही कोई वीडियो या फोटो अपलोड करे उसका दुरुपयोग किया जा सकता है। एल ए डी सी एस असिस्टेंट निशा कौशल ने भी कानूनी जानकारी दी विधिक सहायता क्लब के प्रभारी वरिष्ठ व्याख्याता राजकुमार शर्मा ने क्लब की गतिविधियों की जानकारी दी।पी एल वी दुर्गेश राजदीप ने विधिक सेवा के बारे में बताया।

वृद्धाश्रम और सब जेल का किया निरीक्षण : वरिष्ठ खंड न्यायाधीश सुश्री प्रीति जैन द्वारा वृद्धाश्रम महेश्वर का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं की जानकारी ली आपने बीमार वृद्धों के लिए उचित जांच और दवाइयां उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए।आश्रम में मरम्मत करने का निर्देश भी दिया गया।आश्रम प्रभारी जगदीश रनसोरे ने आश्रम की व्यवस्थाओं की जानकारी दी। सब जेल महेश्वर में निरीक्षण के दौरान दो बंदियों को विधिक सहायता से निशुल्क अधिवक्ता उलब्ध करने के निर्देश दिए गए।

भगवानपुपरा में जल गंगा संर्वधन अभियान का हुआ समापन

खरगोन। मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद विकासखंड भगवानपुरा के गांवों में जल गंगा संवर्धन अभियान अन्तर्गत जल बचाव, पर शपथ का आयोजन किया गया। विकासखंड समन्वयक महेश खराड़े ने बताया कि 30 मार्च सें 30 जून तक चलने वाले अभियान का 30 जून को समापन किया गया। जिसमें जल को सहेजने की शपथ दिलाई गई और 11 पौधों का रोपण किया गया। साथ ही साफ-स्वच्छ निर्मल जल बहे इस दिशा में ग्रामीणों को सन्देश देकर शपथ दिलाई गई। साथ ही नवीन जल संग्रहण संरचनाओं के साथ- साथ पूर्व से मौजूद जल संग्रहण संरचनाओं का जीर्णोद्धार, जल स्त्रोतों और जल वितरण प्रणालियों की साफ सफाई कार्य किये गए। वहीं जल स्त्रोतों के आस पास हेडपम्प पर पानी के सॉफ्ट गड्डे भीं बनाए। ग्राम स्तर पर समाज की सहभागिता से जल संरक्षण व जागरूता के कार्यक्रम आयोजित किये। संपूर्ण अभियान को इस तरह से नियोजित किया कि जिससे यह अभियान समाज और सरकार की सहभागिता से जल संरक्षण व संवर्धन का जन आंदोलन बन सके। इस दौरान परामर्शदाता कान्हा जायसवाल, नवांकूर के दिनेश माझन, गोविन्द बड़ोले, महेश मालवीया, प्रेमसिंह बालके, बालू गरासे, संतोष मेहता, पप्पु प्रसफुटन समिहज के सदस्य छात्र-छात्राए आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए कानून व्यवस्था बनाने के सख्त निर्देश दिए

नवभारत न्यूज

खरगोन। कलेक्टर सुश्री भव्या मित्तल ने 30 जून को टीएल बैठक में समय सीमा संबंधी प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री आकाश सिंह, अपर कलेक्टर रेखा राठौर, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती हेमलता सोलंकी, सभी एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर प्रताप कुमार आगास्या, सुश्री पूर्वा मण्डलोई एवं सभी विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

बैठक में कलेक्टर सुश्री भव्या मित्तल ने सर्वप्रथम सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा की। इस दौरान कलेक्टर सुश्री मित्तल ने सीएम हेल्पलाइन पर लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि शिकायतों का समाधान गुणवत्ता के साथ करें। इस दौरान सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों को अटेंड नहीं करने पर महिला एवं बाल विकास विभाग सनावद की सीडीपीओ रेखा पटेल व लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी बडवाह के सहायक यंत्री शुभम पटेल का एक दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए गए। सीएम हेल्पलाइन पर नॉन अटेंड शिकायते रहने पर जिला श्रम अधिकारी एवं भीकनगांव सीएमओ को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। वहीं सिविल सर्जन को निर्देशित किया गया कि वे सीएम हेल्पलाइन की नॉन अटेंडेंट शिकायतों को प्राथमिकता से देखें। कलेक्टर सुश्री मित्तल ने अधिकारियों को सख्त निर्देशित दिए कि ग्रेडिंग माह की शिकायतों को प्राथमिकता के साथ बंद किया जाए।

कलेक्टर सुश्री मित्तल ने आगामी पर्व और त्योहारों को ध्यान में रखते हुए समस्त एसडीएम, तहसीलदार और पटवारियों को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सतर्क रहने के निर्देश दिए गए। सीमांकन, नामांकन और बंटवारे के प्रकरणों की भी समीक्षा की गई और उनके शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए गए। वहीं संचालक पशु चिकित्सा विभाग द्वारा विभागीय लक्ष्य पूर्ण न करने पर उन्हें कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने कहा गया।

टीएल बैठक में विस्तार समीक्षा की

बैठक में कलेक्टर सुश्री मित्तल ने जिले में स्थित जर्जर भवनों और अतिक्रमण संबंधी शिकायतों पर प्राथमिकता के साथ त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। फार्मर रजिस्ट्री की समीक्षा करते हुए कलेक्टर सुश्री मित्तल ने सभी तहसीलदारों को प्रतिदिन 600 से 700 फार्मर रजिस्ट्री पूरी करने के निर्देश दिए। साथ ही इसके लिए शिविर भी आयोजित करने कहा गया। सभी एसडीएम को निर्देशित किया गया कि वे पटवारियों को हल्के आवंटित करें। सभी जनपद सीईओ को निर्देशित किया गया कि समग्र ई-केवाईसी के कार्य की सतत मॉनिटरिंग करें। सभी नगरीय निकायों को समग्र ई-केवाइसी का 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।

विश्वदीप संतोष मोयदे का मुख्यमंत्री ने किया सम्मान

नवभारत न्यूज

मंडलेश्वर, निप्र। मंडलेश्वर नगर और खरगोन जिले के लिए आज बड़ा गौरव का पल रहा जब प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने नगर परिषद ,मंडलेश्वर अध्यक्ष विश्वदीप संतोष मोयदे को खंडवा में आयोजित भव्य समारोह में सम्मानित किया।जल संरक्षण के लिए चलाए जा रहे गंगा जल संवर्धन अभियान के समापन अवसर पर खंडवा में प्रदेश स्तर का समारोह आयोजित किया गया था।जल संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले दस नगरीय निकायों के अध्यक्ष खंडवा में सम्मानित हुए उनमें हमारे नगर मंडलेश्वर का नाम भी शामिल रहा।नगरीय निकायों में 16 नगर निगम 98 नगर पालिका परिषद और 298 नगर परिषद सहित कुल 407 नगरीय निकाय मध्य प्रदेश में कार्यरत है जिनमें से 10 निकाय सम्मान के लिए चुने गए मध्य प्रदेश की 298 नगर परिषदों में से सिर्फ दो नगर परिषद ही यह सम्मान प्राप्त कर सकी उनमें एक नगर परिषद मंडलेश्वर है।अध्यक्ष विश्वदीप संतोष मोयदे ने कहा कि यह सम्मान पूरे नगर का सम्मान है मै इस सम्मान को परिषद के उपाध्यक्ष, पार्षदगण, ब्रांड एम्बेसेडर, अधिकारी एव सभी कर्मचारियों, सफाई मित्रों को समर्पित करता हूँ।

अवैध शराब का कारोबार करने वालों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई

नवभारत न्यूज

कसरावद, निप्र। पुलिस महानिरीक्षक इंदौर जोन (ग्रामीण) अनुराग जी के द्वारा अवैध शराब का परिवहन एवं विक्रय करने वालों के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत अधिक से अधिक कार्रवाइ करने हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके परिपालन में पुलिस अधीक्षक खरगोन धर्मराज मीना एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) शकुंतला रुहल जिला खरगोन के द्वारा जिले के समस्त अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) व थाना प्रभारियों को अधिक से अधिक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था।

उपरोक्त निर्देशों के पालन में श्रीमान एसडीओपी, अनुभाग मण्डलेश्वर के मार्गदर्शन में निरीक्षक राजेन्द्र बर्मन थाना प्रभारी कसरावद को अवैध शराब का परिवहन एवं विक्रय करने वालों के विरुद्ध बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए कुल 05 आरोपियों के कब्जे से

अवैध हाथ भट्टी कच्ची महुआ शराब की खेप बरामद की है। अवैध शराब को आरोपियों के कब्जे से मौके पर ही जप्त किया गया । सभी 05 आरोपियों को नोटिस तामील कर विधि अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

कार्रवाई की विवरण ङ्क विश्वसनीय मुखबिर से गुप्त सूचना प्राप्त होने पर निरीक्षक राजेन्द्र बर्मन थाना प्रभारी पुलिस थाना कसरावद ने तत्काल कार्रवाई की योजना बनाकर थाना कसरावद पर पुलिस टीम को कार्यवाही हेतु तैयार कर मौके पर भेजकर आरोपियों को अवैध शराब बेचते धर दबोचा। प्रारंभिक पूछताछ में यह पता चला है कि सभी आरोपी गांव व मोहल्ले में अवैध हाथ भट्टी कच्ची महुआ शराब विक्रय करते है। जिनसे कुल 100 लीटर अवैध हाथ भट्टी कच्ची महुआ शराब कीमती 10,200 रुपए की जप्त की गई तथा 500 लीटर महुआ लहान कीमत कुल 50,000 को मौके पर नष्ट किया गया।

पंजीबद्ध अपराध क्रमांक क्रमश: 01.261/25, 02.262/25, 03.263/25, 04.264/25, 05.265/25 सभी धारा 34(1) आबकारी एक्ट

आरोपियों के नाम ङ्क 1.रवि पिता रूखडिया मेढा जाति भील उम्र-37 वर्ष निवासी ग्राम भीलगांव थाना कसरावद

2.भूपेन्द्र पिता गुलाबसिंह राठौर जाति राजपुत उम्र 42 साल निवासी भीलगांव थाना कसरावद

3.करण पिता हरिसिंह मेढा जाति भील उम्र-38 वर्ष निवासी ग्राम भीलगांव थाना कसरावद

4.जयपालसिंह पिता गजानन्द जाति बलाई उम्र 20 वर्ष निवासी बलाई मोहल्ला भीलगांव

5.अनिल पिता नरसिग रावत उम्र 28 वर्ष जाति भील निवासी ग्राम सोडलपुरा खामखेडा

अनुविभागीय अधिकारी मण्डलेश्वर मनोहर गवली के मार्गदर्शन में, थाना प्रभारी कसरावद निरीक्षक राजेन्द्र बर्मन के नेतृत्व में उनि महेश यादव, उनि जितेन्द्र कवचे, उनि ललिता ठाकुर, सउनि मोहन सिंगला, सउनि रविन्द्र गुरु, सउनि शत्रुघन देशमुख, प्रआर.185 राजेन्द्र चौहान, प्रआर.247 मनीष मोरछले, आर.776 रामू, आर.760 हरिओम कौशिक, आर.622 मुकेश मुवेल, आर.1068 बलराम मुकाति, आर.1064 सौरभ बघेल एवं आर.900 वीरेश सापलिया का विशेष योगदान रहा।

अनिल जायसवाल पर की प्रतिबंधात्मक कार्रवाई

खरगोन। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सुश्री भव्या मित्तल ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए आपराधिक प्रवृत्ति में लिप्त थाना महेश्वर के वार्ड क्रमांक 07 सरदार भगतसिंह मार्ग के 55 वर्षीय अनिल पिता शांतिलाल जायसवाल पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए 03 माह तक सप्ताह के प्रति सोमवार थाने में उपस्थिति देने का आदेश दिया है। अनिल आपराधिक गतिविधियों में सक्रीय होकर अवैध शराब बैचने, गाली गलोज कर मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने, व्यक्तियों का अपमान करने संबंधी वारदाते करने में लिप्त रहा है।

आपराधिक प्रवृत्ति के कारण क्षेत्र में अशांति का माहौल निर्मित न हो और जनमानस को भयमुक्त करने के लिए कलेक्टर द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही कर अनिल जायसवाल को थाना प्रभारी महेश्वर के समक्ष आगामी 03 माह तक सप्ताह में प्रति सोमवार को अपनी आमद देने कहा गया है।

ई अटेंडेंस योजना : प्रदेश के समस्त शासकीय विभागों में प्रारंभ हो, शिक्षकों ने दिया ज्ञापन

नवभारत न्यूज

कसरावद, निप्र। ई अटेंडेंस योजना को एक साथ प्रदेश के समस्त शासकीय विभागों में प्रारंभ किए जाये। शिक्षकोवे ने दिया ज्ञापन।

कसरावद सोमवार को राज्यशिक्षक संघ कसरावद इकाई ने ई अटेंडेंस के विरोध में ज्ञापन सौंपा। राज्य शिक्षक अध्यक्ष ने बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के शिक्षकों के लिए हमारे शिक्षक एप्प के माध्यम से ई अटेंडेंस योजना प्रारंभ की जा रही है। प्रदेश का समूचा शिक्षक संवर्ग प्रदेश सरकार की मंशानुरूप लगातार अपना सर्वश्रेष्ठ देकर शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश को राष्ट्र में प्रमुख पंक्ति में लाने का प्रयास कर रहा है। इस ईमानदारी और समर्पण का सुखद परिणाम यह रहा कि बोर्ड परीक्षा परिणामों में शासकीय विद्यालयों का प्रदर्शन उत्तम रहा है। परीक्षा परिणामों के बाद आपके द्वारा सार्वजनिक रूप से शासकीय शिक्षकों के कार्यों की प्रशंसा की गई है। प्रदेश में केवल शिक्षक संवर्ग की ई अटेंडेंस योजना से हाजिरी लगने की योजना से समाज में ऐसा संदेश जा रहा है कि शिक्षक संवर्ग अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाह होने के कारण उनकी ऐसी हाजिरी ली जा रही है। गुरु के लिए सम्मान ही सबसे बड़ा धन है। मात्र शिक्षकों के लिए सरकार का ऐसा कदम गुरु पद की गरिमा को क्षति पहुंचाता है।

ई अटेंडेंस योजना को प्रदेश के समस्त विभागों के कर्मचारियों पर एक साथ लागू किया जाए, तब तक शिक्षकों के लिए स्थगित की जाए। ज्ञापन में विकासखण्ड के 100 से अधिक अध्यापक शिक्षक उपस्थित रहे।

कार से हो रहा था शराब का परिवहन, 11 पेटी शराब के साथ दो गिरफ्तार

नवभारत न्यूज

खरगोन। कार में शराब के किए जा रहे अवैध परिवहन का पुलिस ने खुलासा किया है। बिस्टान थाना पुलिस ने कार से 11 पेटी अवैध देशी शराब जब्त कर तस्करी कर रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस से मिली जानकारी अनुसार 29 जून को मुखबिर से मिली सूचना पर बायपास रोड पर नाकाबंदी की गई। यहां कुछ देर निगरानी रखने के बाद इंडिका कार आते नजर आई, जिसे घेराबंदी कर रोका गया। कार में 02 व्यक्ति बैठे थे, उन्होंने अपना नाम क्रमश- कैलाश पिता अमरसिंह डुडवे और सुनील पिता बदु दोनों निवासी ग्राम झेंडिया थाना चैनपुर का होना बताया। कार की तलाशी लेने पर

डिक्की में देशी शराब की पेटियां रखी मिली। दोनों के पास शराब परिवहन करने के संबंध में वैध दस्तावेज व लाइसेंस नहीं मिला। कार से 11 पेटी में 97.2 लीटर करीब 1 लाख 40 हजार 500 रुपए मूल्य की शराब जब्त कर प्रकरण दर्ज किया गया है। परिवहन में लिप्त कार को भी जब्त किया गया है।

इधर गोगावां पुलिस ने कच्ची शराब ठिकानों पर दी दबिश

गोगावां पुलिस ने भी थानाक्षेत्र में नदी किनारे धधक रही शराब भट्टियों पर दबिश दी है। कार्रवाई में 50 लीटर शराब के साथ 500 लीटर महुआ लहान जब्त कर तीन प्रकरण बनाए गए है। पुलिस से मिली जानकारी अनुसार ग्राम बोरगांव, भुलगांव कुदां नदी के किनारे अवैध शराब की भट्टी संचालित किए जाने की सूचना मिली थी। इसके आधार पर टीम गठित कर दबिश दी गई। यहां पुलिस टीम ने 500 लीटर महुआ लहान को नष्ट कर आरोपी के घर से 20 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त की गई है। इसके अलआवा सिगांजी मंदिर के पास से 15 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त की गई है। इस मामले में तीन अलग- अलग प्रकरण दर्ज किए गए है।

एक नजर में

ई अटेंडेस योजना शिक्षकों के लिए स्थगित की जाए, तहसीलदार भगवानपुरा को ज्ञापन सौंपा

ई-अटेंडेंस योजना - शासकीय विभागों में प्रारंभ किए जाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा

नवभारत न्यूज

बिस्टान नि प्र। राज्य शिक्षक संघ के प्रांतीय आव्हान पर भगवानपुरा विकासखंड के शिक्षकों ने जिला मुख्यालय पर प्रदेश में शिक्षा विभाग द्वारा लागू की गई ई-अटेंडेंस व्यवस्था को शिक्षा विभाग के साथ अन्य विभागों में भी लागू करने की मांग को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम से श्री संजय चौहान तहसीलदार भगवानपुरा को ज्ञापन सौंपा।

खरगोन ब्लॉक अध्यक्ष चौ. घनश्याम मालवीया, आई.एम.शेख के नेतृत्व में ब्लॉक के शिक्षकों ने सौंपे ज्ञापन में बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के शिक्षकों के लिए हमारे शिक्षक एप के माध्यम से ई अटेंडेंस योजना प्रारंभ की जा रही है। प्रदेश का समूचा शिक्षक संवर्ग प्रदेश सरकार की मंशानुरूप लगातार अपना सर्वश्रेष्ठ देकर शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश को राष्ट्र में प्रमुख पंक्ति में लाने का प्रयास कर रहा है। जबकि शैक्षणिक कार्य के अतिरिक्त गैरशैक्षणिक कार्य भी करता है। इस ईमानदारी और समर्पण का सुखद परिणाम यह रहा कि बोर्ड परीक्षा परिणामों में शासकीय विद्यालयों का प्रदर्शन उत्तम रहा है। परीक्षा परिणामों के बाद आपके द्वारा सार्वजनिक रूप से शासकीय शिक्षकों के कार्यों की प्रशंसा की गई है।

ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि ई अटेंडेंस योजना को प्रदेश के समस्त विभागों के कर्मचारियों पर एक साथ लागू किया जाए तब तक शिक्षकों के लिए स्थगित की जाए।

इस अवसर पर राज्य शिक्षक संघ के जिला मीडिया प्रभारी आनंद प्रकाश मालवीया, भंवरसिंह मोरे, प्रतापसिंह मंडलोई, रमेशचंद्र आर्य, संतोष चौहान, रीना चौहान, सरिता मोरे, रागिनी रावल, निर्मला सोलंकी, शीला वानखेडे, संगीता चौहान, ममता सोलंकी, शकुंतला बड़ोले, कमलसिंह निराले, तरुण भावसार, महेश पाटीदार, राधेश्याम रोकड़े, प्रतापसिंह रावत, जितेंद्र सोलंकी, रामेश्वर जांगड़े, गणेश भार्गव, दीपक कुम्बे, पंकज नामदेव, कमलेश लाड़ने, रूपसिंह बड़ोले, शिवम वास्केले, नवलसिंह गरासे, रामलाल मेहता, नानक मालवीया, बाथम मोरे, अर्शी शेख, रीना चौहान, सरिता मोरे, रागिनी रावल, निर्मला सोलंकी, शीला वानखेडे, संगीता चौहान, ममता सोलंकी, शकुंतला बड़ोले, शालिनी मंडलोई सहित बड़ी संख्या में शिक्षक शिक्षिकाए उपस्थित थे।

सरकार का ऐसा कदम गुरूपद की गरिमा को क्षति पहुंचाता है

ज्ञापन में बताया कि प्रदेश में केवल शिक्षक संवर्ग की ई अटेंडेंस योजना से हाजिरी लगने की योजना से समाज में ऐसा संदेश जा रहा है कि शिक्षक संवर्ग अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाह होने के कारण उनकी ऐसी हाजिरी ली जा रही है। गुरु के लिए सम्मान ही सबसे बड़ा धन है। मात्र शिक्षकों के लिए सरकार का ऐसा कदम गुरु पद की गरिमा को क्षति पहुंचाता है व मन को आहत करता है।